पत्रावली में तहसीलदार डूंगला से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त
17/2/26 हैर्ड़ पत्रावली को रुपिट से तलब की गई पत्रावली का
एवं प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया प्राप्त
प्राप्त विभाजन प्रस्ताव आविशानुसार है। इसलिए प्राप्त विभाजन
प्रस्ताव के अनुसार फाईनल डिक्री किया जाने की सहमति
वकील वादीया द्वारा दी गई है। इसलिए वादीया का वाद पत्र में
वर्णित ग्राम सांगरिया पटवार मण्डल ओड़ियाना के खसरा सं. 1/2
में वर्णित आराजीनम्बर 34 रकबा 1.8797 है. भूमि लगान 2.1900
रुपया का पक्षकार के मध्य विभाजन से खाता अलग कर अलग-2
निम्नानुसार खातेदारी में दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता
है।

(1) श्रीमती रतन कुंवर पत्नी हरि सिंह राजपूत सा. जलखेड़ी खातेदार

आराजीनम्बर	रकबा	किस्म	लगान
34/1	0.5874	0.0337 ऊसर	0.16
		0.2026 पडत	0.18
		.3511 बीड़	0.60
किता 1	0.5874	—	0.94

(2) (1) श्री गणपत सिंह पुत्र केसर सिंह हिस्सा 29/480 राजपूत सा. जलखेड़ी
(2) श्री कृष्णा कुंवर पुत्री केसर सिंह हिस्सा 29/480 राजपूत सा. जलखेड़ी
(3) राजकुंवर पुत्री केसर सिंह हि. 29/480 राजपूत सा. जलखेड़ी
(4) कैलाश कुंवर पत्नी केसर सिंह हि. 29/480 राजपूत सा. जलखेड़ी
(5) उमेश पुत्र उदयलाल ना. बा. संरक्षक माता निर्मला हिस्सा 11/360 जाति कुम्हार सा. जलखेड़ी
(6) पायल पुत्री उदय लाल ना. बा. संरक्षक माता निर्मला हिस्सा 11/360 जाति कुम्हार सा. जलखेड़ी
(7) निर्मला पत्नी उदय लाल हिस्सा 11/360 जाति कुम्हार सा. जलखेड़ी
(8) किशन लाल पुत्र रामा हिस्सा 11/120 जाति कुम्हार सा. जलखेड़ी
(9) लक्ष्मीबाई पुत्री रामा हिस्सा 11/120 जाति कुम्हार सा. जलखेड़ी
(10) फतह सिंह पुत्र मेहताब सिंह हि. 29/120 जाति राजपूत सा. जलखेड़ी
रत्न BRKGB शाखा संगेसरा
(11) भेरु सिंह पुत्र गरवर सिंह हिस्सा 29/480 जाति राजपूत सा. जलखेड़ी
(12) मदन कुंवर पुत्री गरवर सिंह हिस्सा 29/480 राजपूत सा. जलखेड़ी
(13) राजकुंवर पत्नी गरवर सिंह हिस्सा 29/480 जाति राजपूत सा. जलखेड़ी
(14) सज्जन कुंवर पुत्री गरवर सिंह हिस्सा 29/480 जाति राजपूत सा. जलखेड़ी

नोट! - प्रतिवादी श्री उदय लाल एवं केसर सिंह की मृत्यु होने से इनके वारिसान के [illegible]

आरा. नं.	रकबा	[illegible]	[illegible]
34/2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	0.39
		0.772	33 1.32
किता 1	1.2933	—	2.05

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया जाने का आदेश दिया जाता है। डिक्री पर्चा मुर्तिब होकर संलग्न पत्रावली हो। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2026.04.07 11:19:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner